जेल के बंदियों को बताए जाएंगे उनके अधिकार

करनाल। जिला कारागार के बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कराने का कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डलसा), चन्द्रशेखर की अध्यक्षता मे जिला न्यायालय करनाल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव, डलसा करनाल जसबीर कौर, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन व अधीक्षक जिला कारागार अमित भादू मौजूद रहे।

इस अवसर पर सीजेएम जसबीर कौर ने बताया कि जिले में 12 व 13 अक्तूबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत मे कोई भी व्यक्ति पारिवारिक विवाद का मुकदमा रखकर उसका निपटारा आपसी रजामंदी से कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 0184-2266138 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद बैठक मे जिला कारागार में बंद कैदियों के लिए कैम्पेन आयोजित करने व उनके हितों की रक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ओटीपी-सीवीवी बताया तो खाता हो जाएगा खाली

करनाल। साइबर थाने की टीम ने सेक्टर 6 में लोगों को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि गैजेट्स का सावधानी से इस्तेमाल कर साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के निर्देश पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत पुलिस टीमे शहर में विभिन्न जगहों पर लोगों को इकट्ठा कर साइबर अपराध के नए तरीके और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दे रही हैं।

सेक्टर 6 वासियों से रूबरू हुई साइबर थाना टीम के सिपाही लवकेश ने लोगों को बताया कि आज के इस तकनीकी दौर में मनुष्य ज्यादातर मोबाइल फोन, लैपटॉप व कम्प्यूटर आदि पर निर्भर है और यह डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। इनके माध्यम से मनुष्य का जीवन काफी आसान हो गया है। मनुष्य अपने रोजमर्रा के कार्य जैसे-बैंक से संबंधित कार्य, ऑनलाइन ऑफिस कार्य, नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया आदि पर अपना कारोबार आदि कार्य घर बैठे ही बड़ी आसानी से कर लेता है। जिसके कारण व्यक्ति कई बार इंटरनेट पर गलती कर बैठता हैं। साइबर अपराधी लोगों की इसी गलती के इंतजार में बैठे रहते हैं। मौका मिलते ही साइबर अपराधी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को मानसिक व आर्थिक तौर पर भारी क्षति पहुंचा देते हैं।

साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि हमें इंटरनेट पर अपने कार्य करने के दौरान या इंटरनेट का उपयोग करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने सोशल मीडिया खातों को मजबूत पासवर्ड लगाकर सुरक्षित रखना चाहिए ।

सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से सम्पर्क नही करना चाहिए। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन नही करना चाहिए। किसी अनजान नम्बर से आने वाली फोन कॉल, वीडियो कॉल का उत्तर नही देना चाहिए और न ही किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को बैंक का अधिकारी या प्रतिनिधि बताकर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकरी जैसे बैंक खाता नम्बर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नम्बर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नम्बर, ओटीपी, आधार कार्ड नंबर व पैन कार्ड नंबर आदि मांगता है तो उस व्यक्ति के साथ उक्त जानकारी साझा नही करनी चाहिए।

इस प्रकार हम छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर साइबर अपराधियों से बच सकते हैं और अपने आप को होने वाली मानसिक व आर्थिक हानि से बचा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो तुरंत नेशनल साइबर कंप्लेंट पोर्टल नंबर 1930 पर कॉल करें और www.cybercrime.gov.in पर आनलाईन शिकायत दर्ज करवाएं। जितनी जल्दी हो सके शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध थाना या नजदीक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराकर साइबर अपराध के बारे में सहायता ली जा सकती है।

बयान हल्फिया

हम, हरपिन्द्र सिंह पुत्र श्री रजवन्त सिंह व सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री हरपिन्द्र सिंह निवासीगण मकान न0 243, सुभाष कालोनी, तहसील कैम्प, नजदीक एस.बी.आई बैंक, पानीपत, हरियाणा के रहने वाले है और अपने हल्फ से निम्नलिखित ब्यान करते है कि

1. यह है कि शपथीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी है।

2 यह है कि सुखदेव सिंह हमारा सग्गा लड़का है व रूपम पत्नी सुखदेव सिंह हमारे लड़के के पत्नी अर्थात मेरी पुत्रवधु है।

3. यह है कि हमारा लड़का सुखदेव सिंह हमारे कहने सुनने से बाहर है व हमारी कोई भी बात नही मानता है तथा हमारा लड़का व उसकी पत्नी रूपम हमारे साथ व दुसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते है।

4. यह है कि शपथीगण आज के बाद अपने लडके सुखदेव सिंहें व उसकी पत्नी रूपम को अपनी चल व अचल सम्पति व अन्य जमीन जायदाद से बेदखल करते है। आज के बाद हमारा सुखदेव सिहं व उसकी पत्नी के साथ कोई लेना देना ना है और ना ही कोई ताल्लुक वास्ता है।

5 यह है कि अगर भविष्य में हमारा लडका सुखदेव सिंह व उसकी पत्नी रूपम किसी के साथ पैसों का लेन देन व कोई अन्य गलत काम करते है तो उसमें हमारी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी ना होगी।

6. यह है कि उपरोक्त ब्यान सही व दुरूस्त है।

तसदीक

तसदीक की जाती है कि उपरोक्त ब्यान सही व दुरुस्त है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नही छिपाया गया है।

करनाल / दिनांक शपथीगण

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया मंडियों का दौरा, किसानों-मजदूर, आढ़ती व अधिकारियों से की बातचीत

करनाल। बीजेपी-जेजेपी सरकार द्वारा चलाए गए 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' जैसे पोर्टल ने किसान, मजदूर, आढ़ती समेत हर वर्ग को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस सरकार में न किसानों को एमएसपी मिल रही है, न मुआवजा, न खाद और न दवाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये शिकायतें घरौंडा और करनाल मंडी में आए किसान, मजदूर और आढ़तियों ने कीं। हुड्डा मंडी में धान और बाजार खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सभी की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके निवारण के निर्देश दिए।

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार हमेशा की तरह फसल व किसान की बेकद्री कर रही है। कई-कई दिनों इंतजार के बावजूद मंडी में खरीद नहीं हो रही। कांग्रेस ने बार-बार सरकार से जल्द खरीद शुरू करने की मांग की थी।

बावजूद इसके सरकार ने 15 दिन देरी से खरीद शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद पोर्टल नहीं चलने का बहाना बनाकर किसानों को परेशान किया गया। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फसल मंडी में आते ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाती थी। इसके चलते प्राइवेट एजेंसियों को भी एमएसपी से ऊंचे रेट पर खरीद करनी पड़ती थी और बाजार में फसल का रेट बढ़ता था।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जानबूझकर खरीद में देरी करती है ताकि बाजार में फसल के रेट गिर जाएं और प्राइवेट खरीदारों को सस्ते रेट में फसल मिले व किसानों को घाटा हो। इतना ही नहीं सरकार ने जानबूझकर धान के निर्यात पर भी रोक लगा दी। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में धान के ऊंचे रेट का लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा। सरकार को ये प्रतिबंध हटाना चाहिए और सुचारू रूप से खरीद के साथ उठान व पेमेंट में भी तत्परता दिखानी चाहिए।

हुड्डा ने कहा कि सरकार के लोग अक्सर पोर्टलों की वकालत करते हैं। इन लोगों को अब मंडियों में जाकर पोर्टल की वजह से परेशान हो रहे किसानों से मिलना चाहिए। तभी उन्हें इन पोर्टल की सच्चाई पता चलेगी। ये पोर्टल किसान को एमएसपी और मुआवजे से वंचित करने का जरिया बनकर ही रह गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार द्वारा ही डिजिटाइजेशन की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद गैर जरूरी लंबी-लंबी कतारों को खत्म करके जनता को ऑनलाइन सहूलियत उपलब्ध करवाना था। लेकिन बीजेपी-जेजेपी दुनिया के इतिहास की पहली ऐसी सरकार है जो कतारों को और लंबा करने के लिए पोर्टल और डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रही है।

घोषणा की कि कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को परेशान करने वाले तमाम गैर-जरूरी पोर्टल्स को खत्म किया जाएगा। पोर्टल और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल जनता के काम को आसान बनाने और उन्हें घर बैठे सेवाएं देने के लिए ही होगा।

किसानों ने हुड्डा से बातचीत में कांग्रेस राज को याद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान किसानों को कभी अपनी फसल बेचने के लिए इस तरह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। उसी वक्त नारा लगता था 'कांग्रेस तेरे राज में जीरे गई जहाज में' यानी उस वक्त किसानों को जीरे के ऊंचे रेट मिलते थे। आज एमएसपी से भी कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों आई बाढ़ के वक्त भी पूरे हरियाणा का दौरा किया था। उस वक्त किसान जल-निकासी और मुआवजे को लेकर परेशान थे। लेकिन सरकार ने तब भी किसानों की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज किसान एमएसपी के लिए परेशान हैं और आज भी सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही। अन्नदाता की यह अनदेखी बीजेपी-जेजेपी को भारी पड़ेगी।

मीडियाकर्मियों की पेंशन15 हजार करना सराहनीय : जगमोहन आनंद

करनाल। मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा मीडियाकर्मियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाना सरकार का सराहनीय कदम है। उन्होंने समस्त मीडियाकर्मियों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। जगमोहन आनंद ने बताया कि हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।

ये है पात्रता

हरियाणा राज्य में वेतन/पारिश्रमिक के

आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के हकदार हैं। मीडियाकर्मी को कम से कम पांच वर्षों के लिए सूचना,जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडियाकर्मी भी पात्र होगा। हालांकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000/- रुपये प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी। योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा